

mis

आवेदन फलक

अभिज्ञेय सं० - 23/17-18
देश का प्रकार - विविध 915
अंचल - गोमिया

C.C. 10/17
7/11/17
10/10/17

01/09/17

आवेदन - पूर्णिया देवी प्रति सुधीर कुमार
सिंह ग्राम - पुराना इंचक, पोठ + धाना - इंचक
जिला - एजाईबाग के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ
है इन्होंने आवेदन किया है कि मौजा - जमिया
अंचल गोमिया अन्तर्गत खाला सं० - 36 में
कुल रकबा - 17.81 एकड़ एवं खाला सं० - 26
में कुल रकबा - 2.50 एकड़ भूमि है जिसमें
कुल - 29 जमोत है उक्त खाला जमोत रकबा
का स्वतंत्रानी क्षेत्र का वंशज है। आदि
विचारे दायीर रहने के कारण उक्त जमोत
लगातन संसन्ध भुगतान का ही फल पायी है।
इस संबंध में एलका राजस्व कर्मचारी एवं
अंचल निरीक्षक को कुल आवेदन स्थानीय
जोच हेतु दे। उत्पत्तार - अभिज्ञेय डिग्री
प्रमाण - को उपस्थापित करें।

01/09/17
अंचल जोच/आरी
गोमिया।

12/10/17

अभिज्ञेय उपस्थापित।
एलका राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक
का संयुक्त जोच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया
इन्होंने प्रतिवेदन किया है कि आवेदन
पूर्णिया देवी के आवेदन पर स्थानीय जोच
एवं लोगों से पुंछ-बांध किया जाये परंतु
प्राप्त कि मौजा - जमिया - खाला सं० - 36
के विभिन्न जमोतों का कुल रकबा - 17.81
एकड़ भूमि का स्वतंत्रानी रकबा कक्षा 2
कक्षा रकबा कक्षा 2 शासन - इंचक कक्षा

मुख्य मध्ये दरम्यान खाल सं० - 10 दर्ज

पैजी-11 के पुस्त सं० 45/1 में नर लाल
कुल - धनुषधारी लाल के साकिन - 2 चाक
के नाम से खाल सं० - 36 रकबा - 17.81
एकर अमि जमावगी दर्ज है जिसका लगान
रसीद वर्ष - 74-75 से 84-85 तक निर्गत
है जो दर्ज है अधिकार कौलम में जमावगी
काम में देने का आधार दर्ज नहीं है।

उक्त पुस्त में रकबा अर्थात् पैजी - 11 के

पुस्त सं० - 135/1, 136/1, 137/1, 138/1, 139/1
140/1, 141/1, 142/1 में क्रमशः जानकी मध्ये

पिरा - मौला मध्ये, अमृत मध्ये वरि पिरा -

जानकी मध्ये गोवर्धन मध्ये वरि 5/0 जयगण

मध्ये, अतु लाल मध्ये, 5/0 मधुदेव मध्ये

श्री मति लाल देवी 10/0 चितवन मध्ये रामेश्वर

मध्ये वरि 5/0 लालधारी मध्ये, श्री मति पिरा

देवी 10/0 लालधारी मध्ये एव श्री मति बुनिया

देवी 10/0 मोहन मध्ये सभी साकिन रखान

के नाम से खाल सं० - 36 कुल रकबा -

2.05 1/8 एकर का प्रति जमावगी दर्ज है।

लगान रसीद निर्गत दर्ज है अधिकार

कौलम में क्रमशः अचल अधिकारी गोविन्द

दर खाल क्रम सं० 11/94-95, 10/94-95

9/94-95, 8/94-95, 7/94-95, 6/94-95, 5/94-95, 4/94-95 दर्ज है

मुख्य जॉय के काम से अस्थानीय अराजीना

तथा अराजक पैनाचर - मुशिया, दोहील अमी

जे कहाया कि उक्त खाल रकबा।

पूर्व से धनुषधारी लाल के कब्जा में था
 जिसका अधकथरे आगिणी का दिमा करण था
 कलान्तर में उक्त भूमि को ग्राम - स्थापन
 निवासी जानकी मठो वीर झाड़ लोंगा के
 नाम से धनुषधारी लाल के कब्जा पिडी
 कर दिया। धनुषधारी लाल ईश्वर के एव
 कौन का स्थापन के निवासी रहने के कारण
 उक्त भूमि कुछ दिनों तक परती स्थापक
 स्थानीय जंगीण जोर कोर कर स्थापन लगे।
 वर्ष - 2016 में स्थापनी रीयर के कब्जा को
 को जगधा फसला आगिणी द्वारा दिया गया।

पुनः इस भूमि से संबंधित आपेदिना
 के पति सुधीर कुमार सिंह वगाम जगुह
 मठो वीर का मामला व मागलप अधुमरेल
 फण्डाधिकारी कैशमो (रेनुघाय) वाद नं० -
 248/2017 चला इस वाद का आदेश प्रथम
 पक्ष अधीर आपेदिना के पति के पक्ष में
 एव डलीन पक्ष अधीर जगुह मठो वीर साकिग
 स्थापन के पक्ष में vacate किया गया। उक्त
 आदेश के पश्चात् जगुह मठो वीर साकिग
 स्थापन द्वारा कुछ भूमि पर आगधनी फसला
 लगाया गया है।

आपेदिना उक्त भूमि का जमाबंदी
 स्थापनी रीयर के नाम से चालू करने का इच्छुक
 किया है। चूंकि प्रसंगत भूमि अन्य रीयतों
 के नाम पूर्व से ही जमाबंदी कायम है।
 जगधा अधीर
 अधीर

ऐसी स्थिति में आवेक के नाम नया
जमाने की सहाय न्यायालय के आदेश
के बिना कायम नहीं किया जा सकता
आवेक यह ती सहाय न्यायालय से
आदेश के अपील कर सकते हैं, तदुपर
आवेक के दावे को खारिज किया जाता
है।

(लेखापित्त)

अंचल अधिकारी
गोमिया।